

कार्यालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक:- 1533

दिनांक:- 28/03/25

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक एफ.27 (क) (40) गृह-2/2024 जयपुर पार्ट 1 दिनांक 04.10.2024 द्वारा जारी स्वीकृत संख्या 70/2024-25 के द्वारा जैरोली पुलिस चौकी को कमोन्नत कर पुलिस थाना जैरोली राजस्व जिला खैरथल-तिजारा सृजित किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं नवीन पुलिस थाना जैरोली अति. पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय जिला भिवाडी एवं वृत्त कार्यालय तिजारा के अधीन रहेगा। उक्त नव सृजित थाने का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश क्रमांक भ-6 0 भिवाडी/सामान्य/2025/321 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा उक्त थाने के लिए न्यायालय का आवंटन करवाने बाबत पत्र पेश किया गया है। जिसमें मुताबिक जैरोली पुलिस चौकी को कमोन्नत कर पुलिस थाना जैरोली राजस्व जिला खैरथल-तिजारा के क्षेत्राधिकार में 1 से 35 गांव आते है जिसकी सूची संलग्न है।

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के आदेश क्रमांक रग्ना/2025/11736 दिनांक 28.03.2025 की अनुपालना में मैं अर्चना गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 (1) व 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुताबिक संलग्न सूची गांव संख्या 1 से 35 तक में उद्भूत होने वाले भारतीय न्याय संहिता से संबंधित फौजदारी प्रकरणों (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष अधिकारिता एवं विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) के निस्तारण हेतु न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, तिजारा का क्षेत्राधिकार आवंटन करती हूँ।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

भवदीया

अर्चना गुप्ता
(अर्चना गुप्ता)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक :- 1534-43

दिनांक :- 28/03/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है-

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर/खैरथल तिजारा/कोटपुतली बहरोड
3. संबंधित न्यायालय.....
4. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/खैरथल तिजारा/कोटपुतली बहरोड/भिवाडी
5. संबंधित पुलिस थाना.....
6. संबंधित बार एसोसियेशन
7. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई-मेल करें)
8. कार्यालय प्रति अध्यक्ष,

अर्चना गुप्ता
(अर्चना गुप्ता)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

राजस्थान सरकार
गृह (प्र-2) विभाग

क्रमांक :- एड27(क)(40)गृह-2/2024

जयपुर दिनांक :- यथा ई-दस्तावेजित

= अधिसूचना =

राज्य सरकार, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 48) की धारा 2(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती है। पुलिस चौकी जैरोली को क्रमेणत करती है। पुलिस थाना जैरोली, रावत त्रिजारा, उपखण्ड त्रिजारा, जिला खैरथल-त्रिजारा को अधिष्ठित करती है। जिरावा स्थानीय क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा, जो पूर्व में पुलिस थाना त्रिजारा, रावत त्रिजारा के क्षेत्राधिकार में था :-

क्र. सं.	पुलिस थाना जैरोली का स्थानीय क्षेत्राधिकार
1	जैरोली
2	आंधाका
3	गोलबाग
4	बेरला
5	धीरा
6	अलापुरजट्ट
7	शेखपुरजट्ट
8	फुल्लाबास
9	रायपुर
10	मालियरजट्ट
11	मुरीपुर
12	पैगनहेडी
13	अहमलाका
14	डोटाना
15	बिजलहेडा
16	घावरुडीकला
17	बाई
18	बरहेडा

क्र. सं.	पुलिस थाना जैरोली का स्थानीय क्षेत्राधिकार
19	नीगावा
20	बिगापुरी
21	फकराली
22	गहनकर
23	गोठडा
24	अलायलपुर
25	खोजावा
26	मठाराली
27	गिण्डारी
28	भीरागपुर
29	रागरास, रागनगर
30	बिलागपुर
31	भीमली
32	सुराबास
33	बाघीर/मालियरगुर्जर
34	महाराजपुरा
35	गंदा

INST. SUPDT. OF POLICE, E.H.WAD	
SP	
ASP	
AO	
OS.	
SEC. I/C	CC
DATE	19/11/25

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(राकेश राजोरिया)
संयुक्त सारान सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, SCRB, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
5. जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, खैरथल-त्रिजारा।
6. पुलिस अधीक्षक, खैरथल-त्रिजारा।
7. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने बाबत।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह

Signature valid

Digitally signed by Raakesh Rajoria
Designation: Joint Secretary To.
Government of Rajasthan
Date: 2025.02.19 15:14:44 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार, गृह विभाग, जयपुर, राजस्थान, भारत।
Raj/Caj Ref No.: 11896197
11 कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर 11
क्रमांक ए-21(26)पुन/जन./समूह-2/2024/487 दिनांक:- 18/12/2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, एससीआरबी साईबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएं (दूरसंचार एवं तकनीकी) राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना आधुनिकीकरण एवं कल्याण/अपराध/आवासन/कार्मिक/मुख्यालय/राज. जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज, जयपुर।
4. जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर खैरथल-त्रिजारा।
5. पुलिस अधीक्षक जिला खैरथल-त्रिजारा को भेजकर लेख है कि पुलिस थाना जैरोली को संचालित कर अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करावें।
6. प्रमारी एलोकेशन शाखा पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
7. गार्ड पत्रावली।



अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(आयोजना, आधुनिकीकरण, कल्याण एवं पुनर्गठन)
राजस्थान, जयपुर।